


18.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पत्र  
उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने आज भी  
कायम मुकाम प्र. पत्र पेश नहीं किया। प्राथ  
पत्र पेश करने हेतु सभ्य चाहा। वकील  
अपीलान्ट के पूर्व में काफी अवसर  
दिए जा चुके हैं परन्तु वकील अपीलान्ट  
द्वारा का.मु. प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर  
न्यायालय के आदेश की अवहेलना  
की जा रही है। अतः आदेश की अवहेलना  
के कारण अपील अपीलान्ट आदेश-9  
नियम-5 के अन्तर्गत खारिज की जाती  
है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम है  
बाद तकमील हाजिल दफ्तर है।

  
बतिरिक्त कलामर (चतुर्थी)  
जयपुर